

न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

मि.न.91/17

दिनांक 7.9.17

ल०२०१८ बनाम रामचन्द्र

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जयसिंहपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख० न० 582 रकबा 12.50 है० किस्म जमीन गै० मु० नदी मेंसे 0.002है० पर रामचन्द्र पुत्र माधाराम जाति मीणा निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने पुख्ता मकान बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्राप्त गैर सायल उपस्थित आये । जबाब पेश नहीं किया और ना ही कोई साक्ष्य , सबूत पेश नहीं किये । पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि गैरसायल रामचन्द्र पुत्र माधाराम जाति मीणा निवासी करवास द्वारा वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख० न० 582/12.50किस्म जमीन गै० मु० नदी मेंसे 0.002है० पर पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण स्वतः ही सिद्ध होता है अतः अतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः रामचन्द्र पुत्र माधाराम जाति मीणा निवासी करवास तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख० न० 582/12.50 है०,किस्म जमीन गै० मु० नदी मेंसे 0.002है० पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर पुख्ता मकान निर्माण को ध्वस्त किया जाकर कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.004का पचास गुणा 2रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू० अ० नि० व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 7.9.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।


तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

2017-01/16... के रा० ल० ५
पृष्ठ संख्या 164... पर... 2...
... किये गये ।


राजस्व लेखाकार
कोटपूतली